हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर का कार्य परिषद् की दिनांक 29/12/2018 को सम्पन्न तृतीय बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित हुये :

1.	**प्रो0 नरेन्द्र बहादुर सिंह** कुलपति, एच0बी0टी0यू0, कानपुर।	अध्यक्ष
2.	**प्रो0 विनय कुमार पाठक** कुलपति, ए0के0टी0यू0, कानपुर।	सदस्य
3.	**प्रो0 योगेश सिंह,** कुलपति, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल युनिवर्सिटी (डी0टी0यू0), दिल्ली – 110042 (अध्यक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के प्रतिनिधि)	सदस्य
4.	**प्रो0 मणीन्द्र अग्रवाल** उपनिदेशक, आई0आई0टी0 कानपुर। (निदेशक आई0आई0टी0, कानपुर के प्रतिनिधि)	सदस्य
5.	**प्रो0 करूणाकर सिंह,** प्रतिकुलपति, एच0बी0टी0यू0 कानपुर	सदस्य
6.	**प्रो0 अनुपम अग्रवाल,** इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी विभाग, आई0आई0आई0टी0 इलाहाबाद (निदेशक, आई0आई0आई0टी0 इलाहाबाद के प्रतिनिधि)	सदस्य
7.	**श्री अनिल मिश्रा** क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कानपुर। (प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि)	सदस्य
8.	**श्री एस0पी0 सिंह,** अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन कानपुर मण्डल (प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि)	सदस्य
9.	**श्री अवध किशोर** उपसचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ। (सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि)	सदस्य
10.	**श्री राजेश सिंह,** वित्त नियंत्रक, एच0बी0टी0यू0 कानपुर	विशेष आमंत्री
11.	**प्रो0 मनोज कुमार शुक्ला,** कुलसचिव, एच0बी0टी0यू0 कानपुर	सचिव

बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व परिषद् के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त अध्यक्ष, कार्य परिषद् महोदय के निर्देशानुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

3.01 हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर की कार्य परिषद की दिनांक 10/04/2018 को सम्पन्न द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टीकरण।

परिषद् ने विश्वविद्यालय की दिनांक 10/04/2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया।

3.02 हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर की कार्य परिषद की दिनांक 10/04/2018 को सम्पन्न द्वितीय बैठक में लिए गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही का विवरण।

परिषद् ने विश्वविद्यालय कार्य परिषद् की दिनांक 10/04/2018 को सम्पन्न द्वितीय बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही के अन्तर्गत मद सं0 2.06 में अलग से पटल पर प्रस्तुत संशोधित टेस्टिंग एवं कन्सल्टेन्सी नियमों तथा दरों के सम्बन्ध में परिषद् द्वारा निर्णय प्रदान किया गया कि विश्वविद्यालय प्रवृत्त होने की तिथि 01/09/2016 से इसे प्रभावी किया जाय, अवशेष कृत कार्यवाही को संज्ञान में लिया।

3.03 विश्वविद्यालय की वित्त समिति की दिनांक 15.12.2018 को सम्पन्न पंचम बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान करने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय वित्त समिति की दिनांक 15/12/2018 को सम्पन्न पंचम बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान करने के साथ ही विश्वविद्यालय के लेखा रिकार्डस को टैली/आटोमेशन के माध्यम से कम्प्यूटराइज्ड किये जाने के निर्देश दिये।

3.04 विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की दिनांक 13.12.2018 को सम्पन्न तृतीय बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान करने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय विद्या परिषद की दिनांक 13/12/2018 को सम्पन्न तृतीय बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान करने के साथ ही परिषद् ने 12 से 20 क्रेडिट के मध्य मूक से अनिवार्य रूप से कोर्स कराये जाने के निर्देश दिये।

3.05 विश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति की दिनांक 14.12.2018 को सम्पन्न द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान करने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति की दिनांक 14/12/2018 को सम्पन्न द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान किया।

3.06 विश्वविद्यालय की क्रय समिति की दिनांक 14.12.2018 को सम्पन्न द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान करने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय क्रय समिति की दिनांक 14/12/2018 को सम्पन्न द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन इस निर्देश के साथ प्रदान किया कि भविष्य में क्रय समिति के कार्यवृत्त पर विश्वविद्यालय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय एवं कार्य परिषद् में सीधे न रखा जाय।

3.07 दिनांक 01.09.2016 से पूर्व पूर्ववर्ती संस्थान एच0बी0टी0आई0, कानपुर में टेस्टिंग एवं कन्सलटेन्सी के रुप में जमा धनराशि का पारिश्रमिक/मानदेय वितरण पूर्ववर्ती अनुमोदित नियमों/दरों के अनुसार किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

परिषद् ने पूर्ववर्ती संस्थान के विश्वविद्यालय में प्रवृत्त होने की तिथि दिनांक सितम्बर 01, 2016 से पूर्व पूर्ववर्ती एच0बी0टी0आई0, कानपुर में प्रभावी टेस्टिंग एवं कन्सलटेन्सी नियमों एवं दरों के अनुसार जमा धनराशि का पारिश्रमिक/मानदेय वितरण किये जाने पर अपना अनुमोदन प्रदान किया। साथ ही परिषद् ने गत तीन वर्षों से टेस्टिंग एवं कन्सल्टेन्सी में जमा कराई गई धनराशि के सापेक्ष पारिश्रमिक/मानदेय का वितरण न किये जाने को संज्ञान में लेते हुये यह निर्णय लिया कि सम्बन्धितों को हर वित्तीय वर्ष के हिसाब से अधिकतम 75 प्रतिशत वेतन की सीमा तक पारिश्रमिक/मानदेय का भुगतान भी तत्समय के प्रभावी टेस्टिंग कन्सल्टेन्सी नियमों के अन्तर्गत किया जाय।

3.08 पूर्ववर्ती संस्थान एच0बी0टी0आई0, कानपुर के निदेशक के निवास हेतु बंगला नं0–7, लक्ष्मण बाग आफिसर्स कालोनी, कानपुर को विश्वविद्यालय का ट्रांजिट हास्टल बनाये जाने सम्बन्धी कार्यवाही पर कार्येत्तर अनुमोदन।

परिषद् ने पूर्ववर्ती संस्थान एच0बी0टी0आई0, कानपुर के निदेशक के निवास हेतु लक्ष्मण बाग आफिसर्स कालोनी, कानपुर स्थित बंगला नं0–7 को विश्वविद्यालय का ट्रांजिट हास्टल बनाये जाने सम्बन्धी कार्यवाही पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

3.09 विश्वविद्यालय में संचालित बी0टेक0 के विभिन्न विधाओं में प्रदेश से इतर राज्यों से 20 प्रतिशत सीटों पर Super Numerary के आधार पर प्रवेश लिये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन।

परिषद् ने विश्वविद्यालय में संचालित बी0टेक0 पाठ्यक्रम की विभिन्न विधाओं हेतु अभातशिप से स्वीकृत प्रवेश क्षमता के सापेक्ष अखिल भारतीय आधार पर 20 प्रतिशत Super Numerary सीटों पर प्रवेश लिये जाने पर अपनी सैद्वान्तिक सहमति प्रदान की और निदेश दिये कि इस सम्बन्ध में यथोचित प्रस्ताव शासन प्रेषित कर प्राप्त अनुदेश अनुरूप कार्यवाही की जाय।

3.10 विश्वविद्यालय में संचालित बी0टेक0 लेदर टेक्नोलाजी पाठ्यक्रम का नाम छात्रहित में बदल कर लेदर एण्ड फुटवियर टेक्नालॉजी किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

वर्तमान परिपेक्ष्य में बी0टेक0 लेदर टेक्नोलाजी विधा का नाम बदल कर लेदर एण्ड फुटवियर टेक्नालॉजी किये जाने पर अभातशिप एप्रूवल प्रोसेस हैण्डबुक–2018–19 में एप्रूव नामनक्लेचर आफ कोर्स अण्डरग्रेजुएट डिग्री इन इंजी0 एण्ड टेक0 का परिषद् द्वारा संज्ञान लिया गया जिसमें लेदर एण्ड फुटवियर टेक्नालॉजी नामनक्लेचर एप्रूव नहीं है। उक्त के दृष्टिगत् परिषद् ने विधा का नाम पूर्ववत बनाये रखने के निर्देश दिये।

उक्त के अतिरिक्त प्रस्ताव के संलग्नक पर हुई विस्तृत चर्चा उपरान्त परिषद् द्वारा निम्न निर्देश/निर्णय प्रदान किये गयेः

1. परिषद् ने बी0टेक0 लेदर टेक्नोलाजी एवं बायोकेमिकल इंजी0 को छोडते हुये बी0टेक0–इंजीनियरिंग विधाओं (यथा केमिकल इंजी0, सिविल इंजी0, कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी0, इन्फार्मेशन टेक0, इलेक्ट्रिकल इंजी0, इलेक्ट्रानिक्स इंजी0, मैकेनिकल इंजी0) की प्रवेश क्षमता बढा कर 120 (02 डिवीजन) किये जाने तथा अवशेष बी0टेक0–टेक्नोलाजी विधाओं (यथा फूड टेक0, आयल टेक0, पेन्ट टेक0, प्लास्टिक टेक0) की प्रवेश क्षमता बढा कर 45 किये जाने पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की एवं निदेश दिये कि उक्त विधाओं में अभातशिप द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता से इतर अवशेष सीटों को स्ववित्तपोषित आधार पर संचालित किया जाय।
2. परिषद् ने प्लास्टिक टेक0 एवं पेन्ट टेक0 में 15 सीट्स की प्रवेश क्षमता के साथ परास्नातक एम0टेक0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की।
3. परिषद् ने अभातशिप द्वारा स्वीकृत नीति के अन्तर्गत बी0टेक0 द्वितीय वर्ष में क्षैतिज आधार पर 20 प्रतिशत प्रवेश किये जाने सम्बन्धी प्रकरण के विषय में, विश्वविद्यालय एक्ट के अनुरूप व्यवस्था न होने के कारण, विगत 02 वर्षों से प्रवेश न हो पाने की स्थिति एवं विश्वविद्यालय को हो रही वित्तीय क्षति को संज्ञान में लेते हुये यह निर्देश दिया कि इन सीटों के सापेक्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश परीक्षा कराते हुये अथवा डा0ए0पी0जे0अ0क0 प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा कराई जा रही प्रवेश परीक्षा से सीटों को भरने पर शासन से अनुदेश प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जाये।

4. परिषद् ने विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर साइंस विभाग में एम0सी0ए0 पाठ्यक्रम की प्रवेश क्षमता को अभिवृद्धित कर दो डिवीजन अर्थात 120 सीट्स किये जाने पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की।
5. परिषद् ने विश्वविद्यालय के मानविकी विभाग में दो डिवीजन अर्थात 120 सीट्स प्रवेश क्षमता के एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की।

परिषद् ने वर्तमान में अभातशिप से स्वीकृत प्रवेश क्षमता से इतर उक्त अभिवृद्धित प्रवेश को स्ववित्तपोषित आधार किये जाने पर अपना सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की। स्ववित्तपोषित सीट्स एवं रेगुलर सीट्स का शुल्क समान रखा जाय। सभी पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में परिषद् ने निर्देश दिये कि डी0टी0यू0, नई दिल्ली एवं एम0एम0एम0यू0टी0, गोरखपुर के फी स्ट्रक्चर का अध्ययन कर समेकित प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदन सहित प्रस्ताव कार्य परिषद् की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय, तथापि प्रवेश सम्बन्धी उक्त समस्त निर्देशों पर शासन स्तर से यथोचित कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

साथ ही परिषद् ने स्ववित्तपोषित/सामान्य आधार पर विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों/विधाओं में अभिवृद्धित प्रवेश क्षमता एवं नये पाठ्यक्रमों हेतु आधारभूत संरचना, मानव संसाधन, अन्य व्यवस्थाओं इत्यादि पर व्यय एवं इसी क्रम में स्ववित्तपोषण हेतु निर्गत सुसंगत शासनादेशों के आलोक में समस्त आय व्ययक का आंकलन कर शुल्क निर्धारण सहित डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी0पी0आर0) तैयार करने हेतु समिति का गठन किये जाने के लिये अध्यक्ष, कार्य परिषद्/कुलपति को अधिकृत किया।

3.11 विश्वविद्यालय में NPIU द्वारा टेक्यूप–III परियोजना के तहत नियत वेतन पर विभिन्न विधाओं में विश्वविद्यालय को आवंटित शिक्षकों (कुल 29) द्वारा सहायक आचार्य पद पर कार्यभार ग्रहण करने की सूचना।

परिषद् ने विभिन्न विधाओं में विश्वविद्यालय को टेक्यूप–III परियोजना के अन्तर्गत NPIU से आवंटित कुल 29 शिक्षकों द्वारा सहायक आचार्य पद पर कार्यभार ग्रहण करने की सूचना को संज्ञान में लिया।

3.12 विश्वविद्यालय में सामान्य मोहर (Common Seal) प्रचलन में लाये जाने हेतु प्रस्ताव पर अनुमोदन।

परिषद् ने प्रस्ताव के संलग्नक के क्रमांक B पर मुद्रित निम्नवत् सामान्य मोहर को विश्वविद्यालय की सामान्य मोहर (Common Seal) की तरह प्रचलन/प्रयोग में लाये जाने पर अपना अनुमोदन प्रदान किया:

HARCOURT BUTLER TECHNICAL UNIVERSITY ★ KANPUR ★

3.13 विश्वविद्यालय में प्रति कुलपति एवं कुलसचिव के पद का कार्य एवं दायित्व निर्वहन हेतु की गयी व्यवस्था पर अनुमोदन।

परिषद् ने विश्वविद्यालय में प्रो0 करूणाकर सिंह को प्रति कुलपति एवं प्रो0 मनोज कुमार शुक्ल को कुलसचिव के पद का कार्य एवं दायित्व निर्वहन हेतु अधिकृत किये जाने को संज्ञान में लेते हुये अपना अनुमोदन प्रदान किया। साथ ही परिषद् ने कार्य संचालन को दृष्टिगत् रखते हुये

प्रशासनिक कार्य एवं दायित्व निर्वहन कर रहे अधिकारियों के पद रिक्त होने की स्थिति में नियमित नियुक्ति/चयन होने तक के लिये पद का दायित्व उपयुक्त शिक्षक/अधिकारी को सौंपने हेतु अध्यक्ष, कार्य परिषद्/कुलपति को अधिकृत किया।

3.14 विश्वविद्यालय में NPIU के अंतर्गत टेक्यूप–III परियोजना के अधीन नियत वेतन पर कार्यरत सहायक आचार्यों एवं रिक्त पदों के सापेक्ष UPSIC के अधीन आबद्ध आउटसोर्स कर्मियों को विश्वविद्यालय के सुचारु संचालन के दृष्टिगत विभागों के ऑफिस एवं लैबोरेटरी के भौतिक चार्ज दिये जाने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने नियत वेतन पर कार्यरत शिक्षक/आउट सोर्सिंग कर्मियों को विभागों के आफिस एवं लेबोरेटरी का भौतिक चार्ज दिये जाने पर असहमति व्यक्त की। विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं कर्मचारियों की भारी कमी के परिपेक्ष्य में परिषद् ने निर्देश दिये कि शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सीधी भर्ती के सम्बन्ध में शासन को यथोचित अनुरोध प्रेषित कर, अनुमति प्राप्त करते हुये नियुक्ति कार्यवाही की जाय एवं भौतिक चार्ज के कार्य को Asset Management Company के माध्यम से कराये जाने की सम्भावनाओं को तलाशने हेतु एक समिति का गठन किया जाय। परिषद् ने उक्त समिति के गठन हेतु कुलपति को अधिकृत किया। साथ ही परिषद् ने निर्देश दिये कि वर्तमान में विभागों/अनुभागों से इतर केन्द्रीकृत रूप में लगे विद्युत एवं इलेक्ट्रानिक अप्लाइसेस, फर्नीचर, फिक्सर, अग्निशमन यन्त्र, उपकरण इत्यादि का भौतिक चार्ज विश्वविद्यालय रखरखाव अनुभाग में कार्यरत तकनीकी कर्मी (यथा अवर अभियन्ता, फोरमैन, सहायक अभियन्ता आदि) द्वारा लिया जायेगा।

3.15 डा0 (श्रीमती) रचना अस्थाना, प्रोफेसर, इलेक्ट्रानिक्स इंजी0 विभाग द्वारा डा0 अम्बेडकर इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी फार हैण्डीकैप्ड, उ0प्र0, कानपुर के निदेशक पद का कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी सूचना को परिषद् के संज्ञान में लाये जाने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने डा0 (श्रीमती) रचना अस्थाना, प्रोफेसर, इलेक्ट्रानिक्स इंजी0 विभाग द्वारा डा0 अम्बेडकर इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी फार हैण्डीकैप्ड, उ0प्र0, कानपुर के निदेशक पद का कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी सूचना को संज्ञान में लिया एवं डा0 (श्रीमती) रचना अस्थाना को दिनांक 06/11/2018 से 03 वर्ष की अवधि हेतु धारणाधिकार सहित अवकाश स्वीकृत किया।

3.16 भातखण्डे संगीत संस्थान (सम विश्वविद्यालय), लखनऊ द्वारा विश्वविद्यालय हेतु तैयार कुलगीत पर अनुमोदन।

परिषद् ने विश्वविद्यालय के कुलगीत पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

3.17 डा0 एस0के0 गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, केमिकल इंजीनियरिंग विभाग को स्वयं की चिकित्सा कराये जाने उपरान्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्बन्धी प्रस्ताव पर अनुमोदन।

परिषद् ने डा0 एस0के0 गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, केमिकल इंजीनियरिंग विभाग को स्वयं की चिकित्सा कराये जाने उपरान्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति किये जाने पर सैद्धान्तिक सहमति देते हुये प्रकरण को नियमानुसार कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित किये जाने निर्देश दिये।

3.18 स्व0 प्रहलाद कुमार मीना, लैब अटेन्डेन्ट की असामयिक मृत्यु उपरान्त स्व0 मीना द्वारा पूर्व प्रस्तुत नामांकन प्रपत्र के आधार पर उनके पुत्र को मृतक आश्रित के रूप में अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने स्व0 प्रहलाद कुमार मीना, लैब अटेन्डेन्ट द्वारा पूर्व प्रस्तुत नामांकन प्रपत्र के आधार पर नामिनी होने के फलस्वरूप उनके पुत्र को मृतक आश्रित के रूप में अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

3.19 विश्वविद्यालय में संचालित भारत सरकार की विश्व बैंक सहायतित परियोजना TEQIP-III के सुचारू संचालन हेतु कुलपति/अध्यक्ष कार्यपरिषद द्वारा समय–समय पर लिए गए निर्णयों को परिषद के संज्ञान में लाये जाने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय में संचालित भारत सरकार की विश्व बैंक सहायतित परियोजना TEQIP-III के सुचारू संचालन हेतु कुलपति/अध्यक्ष कार्यपरिषद द्वारा समय–समय पर लिए गए निर्णयों को संज्ञान में लेते हुये अपना अनुमोदन प्रदान किया। उक्त के अतिरिक्त परिषद् TEQIP-III परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न मदों में बजट की अनुपलब्धता के कारण प्रगति न हो पाने तथा NPIU/SPFU द्वारा बैठकों में दिये जा रहे अनुदेश कि जिन मदों में धनराशि नहीं उपलब्ध हो पा रही है उनके सापेक्ष विश्वविद्यालय से धनराशि व्यय कर ली जाय तथा TEQIP-III परियोजना मदों में धनराशि उपलब्ध होने पर विश्वविद्यालय द्वारा व्यय की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति PFMS के माध्यम से कर ली जाय से संज्ञानित हुई। विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त परियोजना की समय सीमा एवं प्रस्तावित कार्यों की अबाधित प्रगति को दृष्टिगत् रखते हुये परिषद् ने निर्णय लिया कि NPIU/SPFU से लिखित रूप में इस सम्बन्ध में निर्देश प्राप्त होते हैं तो उसके अनुरूप कार्यवाही की जाय।

3.20 विश्वविद्यालय में संचालित पं0 दीन दयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (डा0ए0पी0जे0अ0क0 प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा पोषित) एवं रुसा (RUSA) परियोजना की प्रगति आख्या के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय में संचालित पं0 दीन दयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (डा0ए0पी0जे0अ0क0 प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा पोषित) एवं रुसा (RUSA) परियोजना की प्रगति आख्या को संज्ञान में लिया और कार्यों को और त्वरित गति से किये जाने के निदेश दिये।

3.21 प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1 के शासनादेश सं0 4216/सोलह–1–2018– 14(4)/2010 दिनांक 05.11.2018 को विश्वविद्यालय में प्रभावी करने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1 के शासनादेश सं0 4216/सोलह–1–2018–14(4)/2010 दिनांक 05/11/2018 के अन्तर्गत वर्ष 2015 में सम्पन्न चयन/साक्षात्कार उपरान्त निर्गत आदेश सं0 242/डी0बी0/इन्ट/कैश/2015 दिनांक 30.09.15 द्वारा प्राप्त द्वितीय प्रोन्नत लाभ को 05 वर्ष के स्थान पर 04 वर्ष पर निम्न शिक्षकों को निम्नवत् प्रदान किये जाने पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

S.No.	Name and Deptt.	Date of Movemnt AGP 7000 to 8000
1.	Dr. Vinay Pratap Singh, Asstt. Prof., Mechanical Engg.	04/02/2012
2.	Dr. Vandana Dixit Kausik, Asstt. Prof., Computer Sci. & Engg.	27/02/2013
3.	Dr. Praveen Kumar Sigh Yadav, Asstt. Prof., Oil Tech.	31/01/2013
4.	Dr. Prabhat Verma, Asstt. Prof., Computer Sci. & Engg.	13/01/2013 (Date of award of Ph.D.)

विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के सम्बन्ध में परिषद ने निर्देश दिये कि शीघ्रातिशीघ्र कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के अन्तर्गत चयन/साक्षात्कार सम्पन्न किये जाय। साथ ही परिषद् ने विश्वविद्यालय अधिनियम–2016 में दी गई व्यवस्थानुरूप रिक्त शिक्षक पदों पर भर्ती हेतु चयन समिति के गठन में आवश्यक अनुकूलन/उपान्तर को अधिसूचित किये जाने के सम्बन्ध में शासन को प्रेषित पत्रांक 42/कुल0सचि0/शासन/2018 दिनांक 19/09/2018 पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की। साथ ही परिषद् ने विश्वविद्यालय अधिनियम–2016 में संशोधन

एवं विश्वविद्यालय के प्रथम स्टेट्यूट्स को बनाये जाने हेतु शीर्ष प्राथमिकता पर कार्यवाही किये जाने के निदेश दिये।

3.22 विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/अनुभागों एवं कार्यालयों आदि का आटोमेशन कराये जाने हेतु मे0 एम0के0टी0 साफ्टवेयर्स प्रा0 लिमिटेड एवं विश्वविद्यालय के मध्य हुए समझौता (MoU) के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/अनुभागों एवं कार्यालयों आदि का 03 वर्षों के लिये निःशुल्क आटोमेशन कराये जाने हेतु मेसर्स एम0के0टी0 साफ्टवेयर्स प्रा0 लिमिटेड एवं विश्वविद्यालय के मध्य हुए समझौता (MoU) को हर्ष के साथ संज्ञान में लिया। साथ ही परिषद् ने शैक्षणिक एवं शोध हेतु आई0आई0टी0 कानपुर, एम0एन0एन0आई0टी0 प्रयागराज, आई0आई0आई0टी0, प्रयागराज, आई0आई0टी0 बी0एच0यू0 वाराणसी आदि से समझौता किये जाने के निर्देश दिये।

3.23 विश्वविद्यालय के पश्चिमी प्रांगण में 10 बेड का चिकित्सालय/हेल्थ सेन्टर भवन एवं हेल्थ सेन्टर हेतु ओ0पी0डी0 उपकरण क्रय किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर अनुमोदन।

परिषद् ने विश्वविद्यालय के पश्चिमी प्रांगण में 10 बेड का चिकित्सालय/हेल्थ सेन्टर भवन एवं हेल्थ सेन्टर हेतु ओ0पी0डी0 उपकरण क्रय किये जाने पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करने के साथ ही शासन को यथोचित प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश दिये। साथ ही परिषद् ने पूर्व से सृजित मेडिकल आफीसर पद का नियत वेतन शासन के चिकित्सा विभाग के शासनादेश के अनुरूप रू0 60,000/– किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया।

3.24 विश्वविद्यालय (पूर्ववर्ती एच0बी0टी0आई0, कानपुर) को पूर्वी एवं पश्चिमी परिसर में अवार्ड की गयी भूमि की अद्यतन वस्तुस्थिति को संज्ञान में लेते हुए उचित निर्देश दिये जाने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय (पूर्ववर्ती एच0बी0टी0आई0, कानपुर) को पूर्वी एवं पश्चिमी परिसर में अवार्ड की गयी भूमि की अद्यतन वस्तुस्थिति को संज्ञान में लिया और अपेक्षा की कि विश्वविद्यालय की अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एक्ट में दी गई व्यवस्था में संशोधन हेतु पत्र शासन को प्रेषित किया जाय।

3.25 विश्वविद्यालय के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों (उच्चतम एवं उच्च न्यायालय) में चल रहे वादों की प्रभावी पैरवी हेतु पूर्वानुमोदित अधिवक्ताओं के अतिरिक्त कतिपय महत्वपूर्ण वादों में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को आबद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों (उच्चतम एवं उच्च न्यायालय) में चल रहे वादों की प्रभावी पैरवी हेतु पूर्वानुमोदित अधिवक्ताओं के अतिरिक्त कतिपय महत्वपूर्ण वादों में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को आबद्ध किये जाने एवं उन्हें इस हेतु किये गये भुगतान की कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया और साथ ही विश्वविद्यालय हित में आवश्यकतानुरूप अधिवक्ताओं को आबद्ध एवं फीस का भुगतान किये जाने के लिये कुलपति को अधिकृत किया। साथ ही परिषद् द्वारा निर्देश दिये गये कि किसी पद धारित करने वाले शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध पद दायित्व निर्वहन के अन्तर्गत उनके नाम से योजित होने वाले वादों का व्यय भार विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा।

3.26 विश्वविद्यालय में वर्ष 2019–20 में प्रवेश लेने वाले नये छात्रों हेतु प्रवेश समिति के गठन एवं उक्त प्रवेश समिति में तकनीकी शिक्षा के दो अनुभवी बाह्य शिक्षकों को सदस्य के रूप में रखे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर अनुमोदन।

परिषद् ने वर्ष 2019–20 में विभिन्न पाठ्क्रमों में छात्र प्रवेश सम्बन्धी कार्य हेतु निम्नलिखित प्रवेश समिति के गठन पर अपना अनुमोदन प्रदान किया:

1.	मा0 कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रति कुलपति	सदस्य
3.	अधिष्ठाता समस्त स्कूल एच0बी0टी0यू0	सदस्य
4.	वित्त नियंत्रक, एच0बी0टी0यू0	सदस्य
5.	परीक्षा नियंत्रक, एच0बी0टी0यू0	सदस्य
6.	प्रो0 मनीष गौर, निदेशक, सेन्टर फार एडवान्स स्टडीज, ए0के0टी0यू0, लखनऊ	सदस्य
7.	प्रो0 एस0पी0 शुक्ला निदेशक, राजकीय इन्जी0 कालेज, बांदा	सदस्य
8.	प्रो0 अलक कुमार सिंह फूड टेक0 विभाग (ओ0बी0सी0 नामिनी)	सदस्य
9.	डा0 ए0के0 शंखवार एसो0 प्रोफेसर, इलेक्ट्रानिक्स इन्जी0 विभाग (एस0सी0 नामिनी)	सदस्य
10.	श्री जमील अहमद असिस्टेन्ट प्रोफेसर, इलेक्ट्रीकल इन्जी0 विभाग (अल्पसंख्यक नामिनी)	सदस्य
11.	श्री एम0डी0 सिंह, सिस्टम मैनेजर	सदस्य
12.	कुलसचिव	सदस्य
13.	अधिष्ठाता, शैक्षिक किया कलाप	सदस्य–सचिव

3.27 श्री वीरेन्द्र कुमार, चौकीदार (निलंबित) के विरूद्ध जांच समिति द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा श्री वीरेन्द्र कुमार, चौकीदार (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) को पत्रांक 205/एच0बी0टी0यू0/अदम/ईसी–।/17 दिनांक 02/06/2017 से निलम्बित करते हुये जॉच हेतु पत्रांक 345/अदम/ई0सी0–।/17 दिनांक 11/07/2017 से गठित जॉच समिति एवं जॉच समिति द्वारा सन्दर्भ संख्या 226/मैथ/18 दिनांक 22/12/2018 से प्रस्तुत जॉच आख्या का संज्ञान लिया। जॉच समिति ने श्री वीरेन्द्र कुमार को ड्यूटी के दौरान नशीले पदार्थों के सेवन, गाली गलौज करने, बिना सूचना ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की पुनरावृत्ति के कदाचारों का दोषी पाया है। परिषद् द्वारा मत स्थिर किया गया कि अपचारी कर्मी को उपरोक्त कदाचार हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 44 की उपधारा 1 सपठित पूर्ववर्ती एच0बी0टी0आई0 की कर्मचारी आचरण नियमावली की व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित दण्ड दिया जाना अपेक्षित होगा :

1. वर्तमान मूल वेतन के 02 स्तर पूर्व पर (02 वार्षिक वेतन वृद्धियों से पीछे) हेतु 02 वर्ष की अवधि के लिये प्रत्यावर्तित किया जाय।
2. निलम्बन अवधि को पेन्शन की गणना हेतु अर्हकारी सेवा अवधि में सम्मिलित न किया जाय।
3. निलम्बन अवधि के भुगतान किये गये निर्वहन भत्ते से इतर वेतन रहित बहाली की जाय।

तथापि, नैसर्गिक न्याय के दृष्टिगत विधिक प्रक्रिया के अनुपालन मे परिषद् की अपेक्षा है कि अपचारी कर्मचारी को उक्त कदाचारों के सन्दर्भ में जॉच आख्या की प्रति उपलब्ध कराते हुये उसे तत्सन्दर्भ में पुनः अपना पक्ष रखने हेतु 15 दिन का अन्तिम अवसर इस निर्देश के साथ दिया जाय कि यदि निर्धारित समय सीमा में उसका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानते हुये कि उसके विरूद्ध जॉच में सिद्ध हुये कदाचारों के सन्दर्भ में उसे कुछ नहीं कहना है, नियमानुसार कार्यवाही की जायगी। यदि कर्मचारी द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपना पक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो उसके प्रतिवेदन में निहित कथन, तथ्यों एवं साक्ष्यों के आलोक में जॉच आख्या के निष्कर्षों का परीक्षण करके प्रस्तावित दण्ड के सन्दर्भ में अन्तिम निर्णय हेतु अध्यक्ष, कार्य परिषद/कुलपति को अधिकृत किया जाता है।

3.28 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य मद पर विचार।

3.28.1 विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम में प्रोन्नति/चयन एवं सीधी भर्ती/नियमित शिक्षकों के नियुक्ति/चयन की अद्यतन स्थिति पर विचार।

परिषद् ने विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम में प्रोन्नति/चयन एवं सीधी भर्ती/नियमित शिक्षकों के नियुक्ति/चयन की अद्यतन कृत कार्यवाही को संज्ञान में लिया और सीधी भर्ती के विज्ञापन एवं चयन को वर्तमान परिपेक्ष्य में निरस्त किये जाने के निर्देश दिये। साथ ही परिषद् ने शिक्षक छात्र अनुपात (1:20) के सन्दर्भ में अभातशिप द्वारा निर्गत नये मानकों के अनुरूप विभिन्न विधाओं हेतु शिक्षक छात्र अनुपात एवं शैक्षणिक भार के आधार पर शिक्षक पदों का पुर्नवर्गीकरण किये जाने के निर्देश दिये जिसको आगामी कार्य परिषद् बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

3.28.2 डा0 विनय कुमार पाठक, आचार्य कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग विभाग द्वारा कुलपति, डा0 ए0पी0जे0अ0क0 प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ के पद पर शासन के निदेशानुसार पुनः द्वितीय बार कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी कृत कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान करने पर विचार।

प्रकरण कार्य परिषद् के सम्मानित सदस्य डा0 विनय कुमार पाठक, आचार्य कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग विभाग सम्प्रति कुलपति, डा0 ए0पी0जे0अ0क0 प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बन्धित था अतः वह बैठक से पृथक रहे। परिषद् ने डा0 विनय कुमार पाठक, आचार्य कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग विभाग द्वारा कुलपति, डा0 ए0पी0जे0अ0क0 प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ के पद पर शासन के निदेशानुसार पुनः द्वितीय बार कार्यभार (सेवा स्थानान्तरण के आधार पर दिनांक 03/08/2018 से कार्य करने) ग्रहण करने सम्बन्धी कृत कार्यवाही को संज्ञान में लेते हुये अनुमोदन प्रदान किया।

3.28.3 प्रो0 विनय कुमार पाठक, कम्प्यूटर साइंस विभाग के विरूद्ध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा सन्दर्भित शिकायतों पर विश्वविद्यालय स्तर से कृत कार्यवाही को संज्ञान में लिये जाने पर विचार।

प्रकरण कार्य परिषद् के सम्मानित सदस्य डा0 विनय कुमार पाठक, आचार्य कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग विभाग सम्प्रति कुलपति, डा0 ए0पी0जे0अ0क0 प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बन्धित था अतः वह बैठक से पृथक रहे। परिषद् ने प्रो0 विनय कुमार पाठक, कम्प्यूटर साइंस विभाग के विरूद्ध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा सन्दर्भित शिकायतों पर विश्वविद्यालय स्तर से कृत कार्यवाही को संज्ञान में लिया।

3.28.4 विशाखा गाइड लाइन्स के अनुरूप गठित समिति द्वारा श्रीमती सुचिता गुप्ता की शिकायत पर दी गई आख्या, उनके लगातार अनुपस्थित रहने, मेडिकल बोर्ड के निर्देशानुसार मेडिकल परीक्षण न कराने के प्रकरण पर विचार।

कार्य परिषद् प्रकरण के सम्बन्ध में निम्नवत् अवगत हुई:

1. श्रीमती सुचिता गुप्ता द्वारा अत्महत्या के प्रयास तदोपरान्त चिकित्सीय आधार पर आवेदित आवकाश के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुरोध पर महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 के निर्देश के कम में जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर के स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के अनुरूप के0जी0एम0यू0 लखनऊ में मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण हेतु बारम्बार आदेशित करने के उपरान्त भी आदेशों का अनुपालन न करके निर्देशों की अवज्ञा की जा रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन के उक्त आदेशों के विरूद्ध श्रीमती गुप्ता द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, प्रयागराज में योजित याचिका सं0 59904 आफ 2017, 23911 आफ 2018 में उन्हें कोई अनुतोष प्राप्त न होने से भी परिषद् संज्ञानित हुई।
2. श्रीमती सुचिता गुप्ता द्वारा उच्चतर अधिकारियों एवं कार्यपरिषद् के सदस्यों को प्रशासनिक व्यवस्था की अपेक्षानुरूप उचित माध्यम से प्रत्यावेदन न कर सीधे पत्राचार कर विश्वविद्यालय अनुशासन का संज्ञानित उल्लंघन किया गया, जिस पर परिषद् द्वारा घोर अप्रसन्नता एवं रोष व्यक्त किया गया।
3. उक्त के अतिरिक्त परिषद् ने इस तथ्य का भी संज्ञान लिया कि उसके द्वारा दिनांक 10/04/2018 को सम्पन्न अपनी द्वितीय बैठक में मद सं0 2.19.2 के अधीन श्रीमती सुचिता गुप्ता, प्रधान सहायक द्वारा विश्वविद्यालय के कतिपय कर्मचारियों के विरूद्ध कार्य स्थल पर सैक्सुअल हैरेसमेन्ट की तथाकथित शिकायत की गई थी जिस पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा गठित जॉच समिति के निष्कर्ष के आलोक में परिषद् ने श्रीमती गुप्ता को कर्मचारियों पर निराधार एवं मनगढन्त आरोप लगाने का भी दोषी पाया था। इस सन्दर्भ में श्रीमती गुप्ता के विरूद्ध नियमानुकूल एवं विधिक परामर्श के अनुसार कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा परिषद् द्वारा की गई थी ताकि ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति न हो, जो कार्यवाही अद्यतन श्रीमती गुप्ता की अनुपस्थिति के कारण लम्बित होने की स्थिति से परिषद् अवगत हुई।

श्रीमती गुप्ता द्वारा संज्ञानित रूप से निदेशों की अवज्ञा, कार्य से अनुपस्थिति, स्थापित व्यवस्था के प्रतिकूल उचित माध्यम के बिना पत्राचार एवं सहकर्मियों के चरित्रहनन जैसे गम्भीर कदाचार के कृत्यों को संज्ञान में लेते हुये विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त कार्य परिषद् द्वारा एक मत से श्रीमती सुचिता गुप्ता को निलम्बित कर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया। निलम्बन अवधि में श्रीमती गुप्ता द्वारा मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुये कार्य स्थल पर उपस्थिति दर्ज कराने पर नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिये जाने के निर्देश दिये गये। परिषद् द्वारा जॉच अधिकारी नियुक्त करने एवं उनके मानदेय आदि हेतु तथा प्राप्त जॉच आख्या पर नियमानुसार/विधि सम्मत कार्यवाही करने हेतु अध्यक्ष, कार्य परिषद्/कुलपति को अधिकृत किया गया।

3.28.5 सुश्री अनिता पुरवार, उप–पुस्तकालयाध्यक्ष (निलम्बित) के सन्दर्भ में गठित जॉच समिति की आख्या पर विचार।

परिषद् ने विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सुश्री अनिता पुरवार, उप–पुस्तकालयाध्यक्ष को पत्रांक 61/कुप0कार्या0/2017 दिनांक 22/09/2017 से निलम्बित किये जाने एवं जॉच समिति संस्थित किये जाने के उपरान्त जॉच समिति द्वारा दिनांक 12/12/2018 से प्रस्तुत जॉच आख्या का संज्ञान लिया। जॉच समिति ने सुश्री अनिता पुरवार को कार्य के प्रति उदासीनता एवं

दायित्व निर्वहन में लापरवाही के कदाचारों का दोषी पाते हुये उन पर लगे आरोपों को दोष सिद्ध पाया है। परिषद् द्वारा मत स्थिर किया गया कि अपचारी कर्मी को उपरोक्त कदाचार हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 44 की उपधारा 1 सपठित पूर्ववर्ती एच0बी0टी0आई0 की कर्मचारी आचरण नियमावली की व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित दण्ड दिया जाना अपेक्षित होगा :

1. पद के वेतनमान के प्रारम्भिक स्तर पर प्रत्यावर्तित किया जाय।
2. निलम्बन अवधि को पेन्शन की गणना हेतु अर्हकारी सेवा अवधि में सम्मिलित न किया जाय।
3. निलम्बन अवधि के भुगतान किये गये निर्वहन भत्ते से इतर वेतन रहित बहाली की जाय।

तथापि, नैसर्गिक न्याय के दृष्टिगत विधिक प्रक्रिया के अनुपालन मे परिषद् की अपेक्षा है कि अपचारी कर्मचारी को उक्त कदाचारों के सन्दर्भ में जॉच आख्या की प्रति उपलब्ध कराते हुये उसे तत्सन्दर्भ में पुनः अपना पक्ष रखने हेतु 15 दिन का अन्तिम अवसर इस निर्देश के साथ दिया जाय कि यदि निर्धारित समय सीमा में उसका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानते हुये कि उसके विरूद्ध जॉच में सिद्ध हुये कदाचारों के सन्दर्भ में उसे कुछ नहीं कहना है, नियमानुसार कार्यवाही की जायगी। यदि कर्मचारी द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपना पक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो उसके प्रतिवेदन में निहित कथन, तथ्यों एवं साक्ष्यों के आलोक में जॉच आख्या के निष्कर्षों का परीक्षण करके प्रस्तावित दण्ड के सन्दर्भ में अन्तिम निर्णय हेतु अध्यक्ष, कार्यपरिषद को अधिकृत किया जाता है।

3.28.6 श्री अजय कुमार, चतुर्थ श्रेणी कर्मी (निलम्बित) के सन्दर्भ में गठित जॉच समिति की आख्या पर विचार।

परिषद् ने विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा श्री अजय कुमार, माली (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) को पत्रांक 204/एचबीटीयू/अदम/ईसी–I/17 दिनांक 02/06/2017 से निलम्बित करते हुये जॉच हेतु पत्रांक 344/अदम/ई0सी0–I/17 दिनांक 11/07/201 से गठित जॉच समिति एवं जॉच समिति द्वारा सन्दर्भ संख्या 232/मैथ/18 दिनांक 28/12/2018 से प्रस्तुत जॉच आख्या का संज्ञान लिया। जॉच समिति ने श्री अजय कुमार माली को बिना सूचना ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की पुनरावृत्ति, कार्य के प्रति लापरवाही, अनुपस्थित रहने के उपरान्त चोरी छुपे उपस्थित पंजिका पर हस्ताक्षर करने, नशा करके गाली गलौज करने, विश्वविद्यालय परिसर के अन्दर अपने पडोस में खाली पडे मकान का ताला तोड कर किसी अज्ञात का समान रखवा देने के कदाचारों का दोषी पाया है। परिषद् द्वारा मत स्थिर किया गया कि अपचारी कर्मी को उपरोक्त कदाचार हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 44 की उपधारा 1 सपठित पूर्ववर्ती एच0बी0टी0आई0 की कर्मचारी आचरण नियमावली की व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित दण्ड दिया जाना अपेक्षित होगा :

1. वर्तमान मूल वेतन के 02 स्तर पूर्व पर (02 वार्षिक वेतन वृद्धियों से पीछे) हेतु 02 वर्ष की अवधि के लिये प्रत्यावर्तित किया जाय।
2. निलम्बन अवधि को पेन्शन की गणना हेतु अर्हकारी सेवा अवधि में सम्मिलित न किया जाय।
3. निलम्बन अवधि के भुगतान किये गये निर्वहन भत्ते से इतर वेतन रहित बहाली की जाय।

mb

तथापि, नैसर्गिक न्याय के दृष्टिगत विधिक प्रक्रिया के अनुपालन मे परिषद् की अपेक्षा है अपचारी कर्मचारी को उक्त कदाचारों के सन्दर्भ में जॉच आख्या की प्रति उपलब्ध कराते हुये उसे तत्सन्दर्भ में पुनः अपना पक्ष रखने हेतु 15 दिन का अन्तिम अवसर इस निर्देश के साथ दिया जाय कि यदि निर्धारित समय सीमा में उसका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानते हुये कि उसके विरूद्ध जॉच में सिद्ध हुये कदाचारों के सन्दर्भ में उसे कुछ नहीं कहना है, नियमानुसार कार्यवाही की जायगी। यदि कर्मचारी द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपना पक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो उसके प्रतिवेदन में निहित कथन, तथ्यों एवं साक्ष्यों के आलोक में जॉच आख्या के निष्कर्षों का परीक्षण करके प्रस्तावित दण्ड के सन्दर्भ में अन्तिम निर्णय हेतु अध्यक्ष, कार्यपरिषद को अधिकृत किया जाता है।

3.28.7 श्री आर0एस0 अग्निहोत्री, फोरमैन, गैस प्लान्ट (बर्खास्त) के सन्दर्भ में गठित समिति की संस्तुति पर विचार।

परिषद् ने श्री आर0एस0 अग्निहोत्री, फोरमैन, गैस प्लान्ट (बर्खास्त) के सन्दर्भ में गठित समिति की संस्तुति पर को संज्ञान में लिया और प्रकरण शासन को प्रेषित किये जाने पर सहमति दी।

3.28.8 श्री सन्तोष कुमार सेन, चतुर्थ श्रेणी कर्मी (निलम्बित) एवं श्री रज्जन कुमार, चतुर्थ श्रेणी कर्मी (निलम्बित) के सन्दर्भ में गठित जॉच समिति की आख्या पर विचार।

1. परिषद् ने विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा श्री सन्तोष कुमार सेन, लैब अटेण्डेन्ट (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) को पत्रांक 1065/अदम/एनटीसी/निलम्बन/2017 दिनांक 05/12/2017 से निलम्बित करते हुये जॉच हेतु पत्रांक 2267/अदम/एन0टी0सी0/जॉच/2018 दिनांक 26/03/2018 से गठित जॉच समिति एवं जॉच समिति द्वारा दिनांक 23/10/2018 से प्रस्तुत जॉच आख्या का संज्ञान लिया। जॉच समिति ने श्री सन्तोष कुमार सेन को कार्य एवं दायित्व का निर्वहन पूर्ण सजगता से न किये जाने के कदाचार का दोषी पाया है। अपचारी कर्मी को उपरोक्त कदाचार हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 44 की उपधारा 1 सपठित पूर्ववर्ती एच0बी0टी0आई0 की कर्मचारी आचरण नियमावली की व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित दण्ड दिया जाता है:

   1. 02 वार्षिक वेतन वृद्धियॉ रोकी जाती हैं।

   साथ ही परिषद द्वारा निर्देश दिया जाता है कि श्री सन्तोष कुमार सेन को तत्काल सेवा में निलम्बन अवधि के भुगतान किये गये निर्वहन भत्ते से इतर वेतन रहित बहाली की जाय एवं श्री सेन के आगामी 03 वर्ष की अवधि के क्रिया कलाप को निरीक्षणाधीन रखा जाय।

2. परिषद् ने विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा श्री रज्जन कुमार, चौकीदार (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) को पत्रांक 1066/अदम/एनटीसी/निलम्बन/2017 दिनांक 05/12/2017 से निलम्बित करते हुये जॉच हेतु पत्रांक 2267/अदम/एन0टी0सी0/जॉच/2018 दिनांक 26/03/2018 से गठित जॉच समिति एवं जॉच समिति द्वारा दिनांक 23/10/2018 से प्रस्तुत जॉच आख्या का संज्ञान लिया। जॉच समिति ने श्री रज्जन कुमार को कार्य एवं दायित्व का निर्वहन पूर्ण सजगता से न किये जाने के कदाचार का दोषी पाया है। अपचारी कर्मी को उपरोक्त कदाचार हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 44 की उपधारा 1 सपठित पूर्ववर्ती एच0बी0टी0आई0 की कर्मचारी आचरण नियमावली की व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित दण्ड दिया जाता है:

   1. 02 वार्षिक वेतन वृद्धियॉ रोकी जाती हैं।

साथ ही परिषद द्वारा निर्देश दिया जाता है कि श्री श्री रज्जन कुमार को तत्काल सेवा में निलम्बन अवधि के भुगतान किये गये निर्वहन भत्ते से इतर वेतन रहित बहाली की जाय एवं श्री रज्जन कुमार के आगामी 03 वर्ष की अवधि के किया कलाप को निरीक्षणाधीन रखा जाय।

3.28.9 विश्वविद्यालय में शिक्षकों की प्रोन्नति/नियुक्ति सम्बन्धी चयन समिति में विषय विशेषज्ञों की सूची पर अनुमोदन देने पर विचार।

परिषद् ने विश्वविद्यालय में शिक्षकों की प्रोन्नति/नियुक्ति सम्बन्धी चयन समिति में विषय विशेषज्ञों की प्रस्तुत सूची पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

उक्त के अतिरिक्त परिषद् ने श्री राकेश कुमार, चतुर्थ श्रेणी कर्मी को कार्य स्थल पर अनुशासनहीनता पर निलम्बन उपरान्त अध्यक्ष कार्य परिषद् द्वारा सेवा में सचेत करते हुये बहाल किये जाने तथा श्री अनिल कुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक को कार्य में लापरवाही के फलस्वरूप निलम्बित किये जाने के प्रकरण को भी संज्ञान में लिया।

परिषद् ने प्रस्तुत कार्यसूची के सम्बन्ध में सचिव से अपेक्षा की कि भविष्य में कार्यसूची के मदों के अन्तिम प्रस्तर में कार्य परिषद् से किये जाने वाले अनुरोध को बोल्ड लेटर में अंकित किया जाय और रिपोर्टिंग मदों को कार्य सूची के अन्त में रखा जाय।

(प्रो0 मनोज कुमार शुक्ल)
सचिव

(प्रो0 एन0बी0 सिंह)
अध्यक्ष